

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224085  
SG-DL-E-01012021-224085

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 252
No. 295]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942	[N. C. T. D. No. 252

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020

सं.फा. 8/221/2020/गृह पु.-II/5564-76.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च 1974 की अधिसूचना सं. 11011/2/74—यूटीएल (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली पुलिस के दिनांक 14.10.2020 के पत्र द्वारा यथा अनुरोधित, श्री प्रणव दायिश, अधिवक्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 एवं 10 पोकसो अधिनियम के अन्तर्गत एफ.आई.आर. सं. 695/2020 पुलिस थाना पश्चिम विहार, नई दिल्ली मामले में मुकदमें के संचालन के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाता है। शुल्क निबंधन एवं शर्तें बाद में निर्धारित की जायेंगी।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के  
आदेश से और उनके नाम पर,  
एल. के. गौतम (उप-सचिव गृह-II)

**HOME (POLICE-II) DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 24th December, 2020

**No. F. 8/221/2020/HP-II/5564-76.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India , Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, Sh. Pranav Diesh, Advocate is appointed as Special Public Prosecutor U/s 24 Cr. P.C. to conduct the trial in case FIR No. 695/2020 P.S. Paschim Vihar West, New Delhi u/s 307 IPC & 10 POCSO Act, as requested by Delhi Police vide letter dated 14.10.2020. The fee terms & conditions will be settled in due course.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Government of  
National Capital Territory of Delhi,  
L. K. GAUTAM, Dy. Secy (HOME-II)